<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्याः 14/2018/1133/55-पर्या-2-18/68(पर्या0)/2018</u>

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर ,2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-45 के राजस्व पक्ष के अंतर्गत पुनर्विनियोजन की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्याः639/पर्या0/लेखा-14 /2018-19 दिनांकः 18 सितम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-45, लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04 प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय के व्ययों को सुचारू रूप से निर्वहन हेतु उपलेखाशीर्षक 03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय में विभिन्न मानक मदों में कुल प्राविधानित धनराशि 276.07लाख के सापेक्ष रू0 50.54लाख, उपलेखाशीर्षक 04-क्षेत्रीय कार्यालय के विभिन्न मानक मदों में कुल प्राविधानित धनराशि 49.29लाख के सापेक्ष रू0 24.16लाख एवं उप लेखाशीर्षक 05-पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना के विभिन्न मानक मदों में कुल प्राविधानित धनराशि 7.82लाख के सापेक्ष रू0 7.82लाख इस प्रकार कुल प्राविधानित धनराशि रू0 335.18लाख के सापेक्ष रू0 82.52लाख (रू0 बयासी लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्तानुसार/अवमुक्त धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के "अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निदेशालय, 04-क्षेत्रीय कार्यालय एवं 05-पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना के विभिन्न मानक मदों", के नामे डाला जायेगा।

4- पुनर्विनियोग संबंधी आलेख्य संलग्न है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 14/2018/1133/55-पर्या-2-18/68(पर्या0)/2018 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक, अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0–09 (भाग–1)

पुर्नविनियोजन की स्वीकृति के लिये आवेदन

विषय बजट मैनुअल का प्रस्तर–158

वित्तीय वर्ष–2018–19

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भलीभांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या का नाम–45–पर्यावरण **वित्तीय वर्ष 2018–19** **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक को अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमादित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक (15 डिजिटकोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्वलेखा 3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजागत 03–पर्यावरण एवं पारिस्थिति की विज्ञान निदेशालय						राजस्वलेखा 3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन–आयोजनागत 03–पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय					
01–वेतन	190.43	108.96	22.30	22.30	168.13	42–अन्य व्यय	2.00	84.52	82.52	82.52	84.52
03–मंहगाई भत्ता	19.04	12.88	5.85	5.85	13.19						
06–अन्य भत्ते	13.00	7.74	.66	.66	12.34						
09–विद्युत देय	12.00	9.23	4.00	4.00	8.00						
10–जलकर / जल प्रभार	7.00	5.00	2.00	2.00	5.00						
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.43	1.43	1.43	.07						
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	8.60	3.15	3.15	3.15	5.45						
29–अनुरक्षण	10.00	10.00	10.00	10.00	0						
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.10	0.10	0.10	0.90						
45–अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00	1.00	1.00	0						
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	12.50	0.05	0.05	0.05	12.45						

कमशः–2

लेखाशीर्षक (15 डिजिटकोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक का अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमादित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2—5)	लेखाशीर्षक (15 डिजिटकोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9—8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्वलेखा											
3435—परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण											
04—प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण											
001—निदेशन तथा प्रशासन—आयोजागत											
04— क्षेत्रीय कार्यालय											
02—मजदूरी	1.00	1.00	1.00	1.00	0						
03—मंहगाई भत्ता	8.27	5.12	1.07	1.07	7.20						
04— यात्रा व्यय	4.00	3.92	2.92	2.92	1.08						
06—अन्य भत्ते	7.80	4.70	.20	.20	7.60						
08—कार्यालय व्यय	2.00	1.81	1.50	1.50	.50						
09—विद्युत देय	4.00	3.85	3.00	3.00	1.00						
11—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	.50	.50	.50	.50	0						
12—कार्यालय फर्नीचर एवंउपकरण	1.00	1.00	1.00	1.00	0						
17—किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	10.00	9.31	8.27	8.27	1.73						
18—प्रकाशन	.50	.50	.50	.50	0						
42—अन्य व्यय	1.00	1.00	1.00	1.00	0						
44—प्रशिक्षणहेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	.50	.50	.50	.50	0						
45—अवकाश यात्रा व्यय	.50	.50	.50	.50	0						
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00	1.00	1.00	0						
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	.50	.42	.42	.42	.08						
52—पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	6.72	.78	.78	.78	5.94						

क्रमशः—3

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक को अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2—5)	लेखाशीर्षक (15 डिजिटकोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9—8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्वलेखा											
3435—परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण											
04—प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण											
001—निदेशन तथा प्रशासन—आयोजागत											
05—पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना											
01—वेतन	3.11	3.11	3.11	3.11	0						
02—मजदूरी	3.60	3.60	3.60	3.60	0						
03—मंहगाई भत्ता	0.31	0.31	0.31	0.31	0						
04— यात्रा व्यय	0.10	0.10	0.10	0.10	0						
06—अन्य भत्ते	0.30	0.30	0.30	0.30	0						
08—कार्यालय व्यय	0.10	0.10	0.10	0.10	0						
12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10	0.10	0.10	0.10	0						
26—मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	0.10	0.10	0.10	0.10	0						
42—अन्य व्यय	10	10	10	10	0						
योग	**333.18**	**203.27**	**82.52**	**82.52**	**250.66**		**2.00**	**84.52**	**82.52**	**82.52**	**84.52**

(1) स्तम्भ—3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है—वास्तविक व्यय के फलस्वरूप बचत सम्भावित है।
(2) स्तम्भ—8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ—9 में अकिंत अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है—
वास्तविकता के अनुसार कम बजट व्यवस्था होने के फलस्वरूप अधिक व्यय सम्भावित है।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,154 व 158 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव

संख्या आरई—103———————— दिनांक: 26—09—2018
सेवा में ,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

(अनु सचिव)
वित्त विभाग

सं0—14/2018/1133/55—पर्या—2—18/68(पर्या0)/2018 लखनऊ दिनांक:27—09—2018
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 तीन प्रतियों में ।

(भारत प्रसाद)
अनुसचिव